न्यायालय जिला कलक्टर, सिरोही (राज.)
बईजलास श्री रोहिताश्व सिंह तोमर, आई.ए.एस.

पंचायत निगरानी सं. 104/2025

प्रार्थी :–

1. श्री शैतानसिंह पुत्र श्री सरदारसिंह जाति राजपूत निवासी सनवाडा आर तहसील पिण्डवाडा जिला सिरोही।

बनाम

अप्रार्थी :–

1. सरपंच ग्राम पंचायत सनवाडा आर तहसील पिण्डवाडा जिला सिरोही।
2. ग्राम विकास अधिकारी, ग्राम पंचायत सनवाडा आर तहसील पिण्डवाडा जिला सिरोही।
3. प्रधानाचार्य राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय सनवाडा आर तहसील पिण्डवाडा जिला सिरोही।

पंचायत निगरानी प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 97 राज. पंचायती राज अधिनियम, 1994

उपस्थिति :–

1. श्री राजेन्द्र पुरी, अधिवक्ता प्रार्थी की ओर से।
2. श्री नरपतसिंह देवडा, अधिवक्ता अप्रार्थी संख्या तीन की ओर से।

न्यायालय जिला कलक्टर सिरोही (राज.)

निर्णय

दिनांक 08.05.2026

संक्षेप में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थी ने जरिए अधिवक्ता यह निगरानी प्रार्थना–पत्र राजस्थान पंचायत राज अधिनियम, 1994 की धारा 97 के तहत अप्रार्थी संख्या तीन के हक में अप्रार्थी संख्या एक द्वारा जारी पट्टा संख्या 01 दिनांक 22.03.2023 क्षेत्रफल 58533.34 वर्गफीट को निरस्त कराने हेतु प्रस्तुत किया। प्रार्थी का प्रार्थना–पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थी को नोटिस जारी किये गये। अप्रार्थी संख्या एक द्वारा बावजूद नोटिस तामिली के इस न्यायालय में उपस्थिति नहीं दी गई। अप्रार्थी संख्या दो द्वारा दिनांक 07.10.2025 को उपस्थिति दी गई एवं जबाव प्रस्तुत किया, जो शामिल मिसल किया गया। अप्रार्थी संख्या तीन की ओर से अधिवक्ता श्री नरपतसिंह देवडा द्वारा जरिए वकालतनामा के उपस्थिति दी गई एवं जबाव प्रस्तुत किया, जो शामिल मिसल किया गया। प्रकरण में दोनों पक्षों की विस्तृत बहस सुनी गई।

प्रार्थी की ओर से अधिवक्ता श्री राजेन्द्र पुरी द्वारा अपनी बहस में निवेदन किया कि अप्रार्थी संख्या एक व दो ने अप्रार्थी संख्या तीन के हक मे विधि विरूद्ध पारित पट्टा संख्या 01 दिनांक 22.03.2023 क्षेत्रफल 58533.34 वर्गफीट को नियम 162 राजस्थान पंचायत राज. नियम 1996 के तहत् जारी किया गया है। यह कि प्रार्थी के कब्जे शुदा भोगवटे का पुश्तैनी भूखण्ड मौजा ग्राम सनवाडा (आर) में आया हुआ है। उक्त पट्टा शुदा भूखण्ड का प्रार्थी स्वयं के नाम से ग्राम पंचायत सनवाडा (आर) द्वारा कब्जे भोगवटे का प्रमाण पत्र दिनांक 09.02.1996 को जारी किया गया जिसका नाप व चतुदर्शी निम्न प्रकार है। पूर्व में रास्ता 20 फिट, पश्चिम में रास्ता 20 फिट, उत्तर में श्री कालुराम पुत्र मुलाजी का नींव भरा हुआ प्लॉट तथा दक्षिण में प्लॉट कुल क्षेत्रफल 1500 वर्गफीट है। यह कि

....पेज नं. 02

जिला कलेक्टर, सिरोही

प्रार्थी का 50–60 वर्षों से अपने पूर्वजों के जरिये पुश्तैनी कब्जा चला आ रहा है तथा मौके पर काबिज है। प्रार्थी के उक्त सम्पत्ति पर पूर्व में कच्चा केलुपोश का मकान बना हुआ था, जो काफी जर्जर हो चुका है। अब केवल मात्र कच्चा झुपा बना हुआ है। प्रार्थी के कब्जे शुदा व भोगवटे की सम्पत्ति, जो कि खसरा संख्या 509 किस्म आबादी भूमि में आई हुई है एवं मौके पर स्थित है तथा प्रार्थी काबिज है। अप्रार्थी संख्या एक व दो द्वारा बिना मौके की जाँच किये, बिना सीमाज्ञान कराये अप्रार्थी संख्या तीन स्कूल को खसरा संख्या 509 रकबा 0.5443 हैक्टेयर कृषि आराजी का आवंटन अप्रार्थी संख्या तीन को स्कूल निर्माण हेतु आवंटित कर दी, जबकि उक्त भूमि पर खसरा संख्या 509 जो कि आबादी भूमि है, जिस पर प्रार्थी के अलावा अन्य लोगो के भी पट्टे शुदा भूमि आई हुई है एवं मौके पर काबिज है। यह कि अप्रार्थी संख्या एक व दो द्वारा खसरा संख्या 509 जो कि पंचायत की आबादी भूमि है, उक्त आबादी भूमि में से प्रार्थी के पट्टे शुदा भूमि व अन्य लोगों के पट्टे शुदा व कब्जे शुदा पुश्तैनी भूमि को छोडते हुए शेष भूमि का आवंटन करना चाहिए था लेकिन ऐसा नहीं करके प्रार्थी के मकान के आगे के रास्ते की भूमि को भी सम्मिलित करते हुए अप्रार्थी संख्या दो ने आवंटन कर बडी भारी कानूनी भूल की है एवं प्रार्थी के पट्टे शुदा भूमि को भी सम्मिलित करते हुए जो अप्रार्थी संख्या तीन को आवंटन कर जो पट्टा विलेख संख्या 1 दिनांक 22.03.2023 को जारी किया है, वह विधि विरूद्ध होने से अपास्त किये जाने योग्य है। यह कि अप्रार्थी संख्या एक व दो को जानकारी होते हुए कि खसरा संख्या 509 आबादी भूमि में प्रार्थी की पट्टे शुदा सम्पत्ति आई हुई है एवं प्रार्थी के अलावा अन्य लोगो के भी भूखण्ड व मकान आये हुए है, उसके बावजूद भी बिना मौके की कोई जाँच किये एवं बिना सीमाज्ञान कराये खसरा संख्या 509 की सम्पूर्ण भूमि अप्रार्थी संख्या तीन को आवंटित कर दी, जबकि मौके पर खसरा संख्या 509 पर अप्रार्थी संख्या एक व दो द्वारा जारी पट्टे शुदा भूमि को बाद करते हुए शेष खाली भूमि का ही पट्टा जारी करना था, जबकि ऐसा नहीं करके जो पट्टा विलेख अप्रार्थी संख्या तीन को जारी किया है, वह सर्वथा ही विधि विरूद्ध होने से अपास्त किये जाने योग्य है। यह कि अप्रार्थी संख्या तीन को भूमि का आवंटन करने के पश्चात् ग्राम पंचायत द्वारा तहसीलदार पिण्डवाड़ा को सीमाज्ञान करने हेतु लिखा गया, जो सीमाज्ञान की मौका फर्द दिनांक 16.07.2025 को गठित टीम द्वारा किया गया लेकिन उक्त टीम द्वारा जानबूझकर खसरा संख्या 509 में प्रार्थी व अन्य लोगों के पट्टे शुदा भूखण्ड को नहीं दर्शाकर गलत मौका फर्द तैयार की गई। उक्त मौका फर्द में अप्रार्थी संख्या तीन द्वारा यह स्पष्ट रूप से अंकित किया है कि मौके पर पश्चिम दिशा में विद्यालय की भूमि पर अतिक्रमण हैं, जो अतिक्रमण नहीं होकर पट्टे शुदा भूखण्ड है। इससे स्पष्ट है कि मौके की सम्पूर्ण भूमि खाली नहीं होते हुए भी राजस्व अधिकारियों द्वारा उक्त तथ्यों को छुपाते हुए गलत मौका फर्द तैयार की गई एवं गलत आवंटन होने के आधार पर अप्रार्थी संख्या तीन प्रार्थी को जबरन कब्जा खाली करने का दबाव बनाकर परेशान कर रहे है। जबकि अप्रार्थी संख्या तीन को जो पट्टा विलेख जारी किया है। वह शुरू से ही अवैध व शून्य है। अतः श्रीमान् से निवेदन है कि प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत पंचायत निगरानी प्रार्थना पत्र स्वीकार फरमाया जाकर अप्रार्थी संख्या तीन के हक में जारी पट्टा संख्या 01 दिनांक 22.03.2023 को अपास्त करना फरमावे।

अप्रार्थी संख्या दो द्वारा प्रस्तुत जबाव में यह व्यक्त किया गया है कि प्रार्थी द्वारा प्रार्थना पत्र में अंकित किए गए भूखण्ड का प्रार्थी स्वयं के नाम से ग्राम पंचायत सनवाडा आर द्वारा कब्जे भोगवटे का प्रमाण पत्र दिनांक 09.02.1996 को जारी किया गया है, परन्तु उक्तानुसार प्रार्थी के उक्त भूखण्ड का पट्टा ग्राम पंचायत सनवाडा आर द्वारा जारी नहीं किया गया है तथा ग्राम पंचायत सनवाडा आर का नवसृजन वर्ष 1995 में हुआ है। प्रार्थी के कथनानुसार वर्तमान में उक्त भूखण्ड पर नींव से उपर एक से डेढ़ फीट उंचाई तक परकोटा बना हुआ है तथा अन्दर बबूल है उक्त भूखण्ड खसरा नम्बर 509 व 508 की

जिला कलेक्टर, सिरोही

सीमा पर है, जो वर्तमान मे प्रार्थी काबिज है। यह कि उक्त भूखण्ड का सीमाज्ञान दिनांक 14.11.2021 को किया गया जिसकी मौका फर्द में किसी का कोई कब्जा नहीं बताया गया। साथ ही तत्कालीन ग्राम विकास अधिकारी द्वारा मौके का नजरी नक्शा भी बनाया गया तथा ग्राम पंचायत की मौका निरीक्षण कमेटी द्वारा उक्त भूमि का स्थल निरीक्षण भी किया गया, उसमें भी किसी प्रकार का कब्जा नहीं बताया गया। दिनांक 16.07.2025 को किये गये सीमाज्ञान के समय अप्रार्थी संख्या दो (ग्राम विकास अधिकारी) मौके पर उपस्थित नहीं था लेकिन पटवार हल्का सनवाडा आर व अप्रार्थी संख्या तीन तथा अन्य ग्रामीणों से मिली जानकारी के अनुसार अप्रार्थी संख्या तीन को जारी पट्टे में प्रार्थी का कब्जा तथा अन्य कब्जे व पट्टे शुदा भूखण्ड आ रहे है। इस सम्बन्ध में ग्राम पंचायत द्वारा पत्रांक 67 दिनांक 18.08.2025 को श्रीमान तहसीलदार महोदय पिण्डवाडा को पुनःमोमीयो ट्रैस नक्शे से सीमाज्ञान करने हेतु निवेदन किया गया, लेकिन उनके द्वारा अभी तक सीमाज्ञान नहीं किया गया जिससे प्रार्थी व अप्रार्थी संख्या तीन को आवंटन भूमि का सही आंकलन नहीं किया जा सकता है कि प्रार्थी का पट्टा खसरा नम्बर 508 में है या 509 में स्थित है।

अप्रार्थी संख्या तीन के लायक अधिवक्ता श्री नरपतसिंह देवडा द्वारा दौराने बहस मेरा ध्यान इस निगरानी मे प्रस्तुत जवाब में अंकित तथ्यों की ओर आकर्षित करते हुए निवेदन किया कि पंचायत द्वारा प्रस्ताव लेकर अप्रार्थी संख्या एक को नियम 162 के तहत पट्टा जारी किया गया है जो नियमानुसार सही है। यह है कि प्रार्थी का उक्त विवादित भूखण्ड पर कभी भी कब्जा नहीं रहा है और न ही उसके द्वारा उसका उपयोग व उपभोग किया जा रहा है। ग्राम पंचायत सनवाडा–आर के द्वारा पट्टा जारी करने से पूर्व दिनांक 14.11.2021 को ग्राम पंचायत सनवाडा आर के प्रतिनिधियों के द्वारा सीमा ज्ञान किया गया तथा ग्राम पंचायत सानवाड़ा आर के द्वारा पट्टा जारी करने से पूर्व आपत्ति आमंत्रण पत्र क्रमांक 13 दिनांक 22.04.2022 को जारी किया गया, जिसमें किसी भी प्रार्थी के द्वारा ग्राम पंचायत सानवाड़ा आर में आपत्ति दर्ज नहीं करवाई गयी। ग्राम पंचायत सानवाड़ा आर द्वारा बुक नंबर 33 मिसल संख्या–1 संकल्प संख्या–4 / 01.03.2023 दिनांक–22.03.2023 को विद्यालय को खसरा संख्या–509 में पट्टा जारी किया, जिसका कार्यालय जिला परिषद सिरोही के पत्रांक– जिपसि / पंचायत / भूमि अनुमोदन– 2022–23 / 1242 दिनांक–17.01. 2023 द्वारा जिला परिषद बैठक दिनांक– 21.10.2023 के प्रस्ताव संख्या–20 के बिंदु संख्या 4 के द्वारा अनुमोदित है। तदुपरान्त ही उक्त पट्टा पंचायत सानवाड़ा आर के द्वारा पंचायत भवन में विद्यालय में विद्यालय प्रशासन को सपूर्द किया। यह कि पट्टा प्राप्ति के तुरन्त बाद दिनांक 25.3.2023 को श्रीमान तहसीलदार पिंडवाड़ा को सीमाज्ञान बाबत् पत्र लिखा, जिस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। तब दिनांक 17.10.2024 को पुनःसीमा ज्ञान हेतु पत्र लिखा, जिसमें ग्राम विकास अधिकारी ग्राम पंचायत, सनवाडा आर के द्वारा पूर्व में दिनांक 14.11.2021 को किए गए सीमा ज्ञान पत्र को ही प्रमाणित कर विद्यालय को पत्र क्रमांक / प. / 2024 / 228 दिनांक 28.10.2024 प्रदान किया। तदुपरान्त दिनांक 16.07.2025 को तहसीलदार पिण्डवाड़ा द्वारा गठित राजस्व टीम के द्वारा सीमा ज्ञान किया गया , जिसका अवलोकन करने पर पाया कि विद्यालय की पट्टा भूमि पर पश्चिम दिशा में अतिक्रमण किया गया है, जिसकी टिप्पणी मेरे द्वारा सीमा ज्ञान प्रतिवेदन पर की गई है तथा विद्यालय प्रशासन के द्वारा अतिक्रमण को हटाने के लिए श्रीमान उपखण्ड अधिकारी पिण्डवाडा, तहसीलदार पिण्डवाडा, जिला शिक्षा अधिकारी सिरोही, विकास अधिकारी पिण्डवाडा तथा श्रीमान मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी पिण्डवाडा को सूचना दी गई। ग्राम पंचायत सनवाडा के पत्र क्रमांक / प. / 2025 / 67 दिनांक 18.08.2025 द्वारा मोमियो ट्रेस के द्वारा पुनः सीमा ज्ञान करवाने हेतु तहसीलदार पिंडवाड़ा को पत्र लिखा, जिस पर आज दिनांक तक कोई कार्यवाही नहीं की गई है। अतः विद्यालय भूमि पर किसका अतिक्रमण है

जिला कलेक्टर, सिरोही

....पेज नं. 04

इसकी प्रामाणिक रूप से जानकारी नहीं है। प्रार्थी के द्वारा अप्रार्थी संख्या तीन पर दबाव बनाया गया कि अतिक्रमण को छोड़ कर अन्य खाली जगह पर भवन बना लेवें। प्रार्थी शैतान सिंह के द्वारा अपने उत्तर में कालूराम पुत्र मूलजी का नींव भरा हुआ प्लॉट बताया है, जो मौके पर स्थित नहीं है। ग्राम पंचायत द्वारा जारी किए गए सभी पट्टों की वैधता की जांच का कार्य ग्राम पंचायत सनावड़ा आर के द्वारा किया जाना है। अतः श्रीमान से निवेदन है कि प्रार्थी का प्रार्थना पत्र खारिज किया जाना फरमावें।

उभय पक्ष की सुनी गई बहस पर मनन किया एवं संलग्न दस्तावेज के साथ निगरानी प्रार्थना पत्र की पत्रावली का भलिभाँति अवलोकन किया तो निष्कर्ष इस प्रकार है कि अप्रार्थी संख्या तीन को उक्त विवादित पट्टा संख्या 01 दिनांक 22.03.2023 क्षेत्रफल 58533.34 वर्गफीट सरपंच ग्राम पंचायत सनवाडा आर द्वारा राजस्थान पंचायती राज सामान्य नियम 1996 के नियम 162 के तहत जारी किया गया है। राजस्थान पंचायती राज सामान्य नियम 1996 के नियम 162 के अनुसार–

162. भूमियों का कमजोर वर्गों को आवंटन– (1) पंचायत, आबादी क्षेत्र के भीतर 500 वर्गगज तक की भूमियाँ, सम्बन्धित जिला परिषद द्वारा पुष्टि किए जाने के अध्यधीन, विद्यालय, औषधालय, आंगनबाडी को निःशुल्क आवंटित कर सकेगी।
(2) कोई भी अन्य निःशुल्क या रियायती कीमत पर आवंटन केवल राज्य सरकार के पूर्वानुमोदन से ही किए जायेंगे।

पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्यों के अवलोकन से यह पाया जाता है कि ग्राम पंचायत सनवाडा आर द्वारा जरिए पत्र क्रमांक/SP/1 दिनांक 09.02.1996 द्वारा प्रार्थी के हक में कुल 1500 वर्गफीट का कब्जा भोगवटा प्रमाण पत्र जारी किया गया है। चूंकि राजस्थान पंचायतीराज अधिनियम 1994 एवं राजस्थान पंचायतीराज नियम 1996 के अन्तर्गत ग्राम पंचायत को कब्जा भोगवटा/स्वामित्व प्रमाण पत्र जारी करने का कोई प्रावधान नहीं है। इस सम्बन्ध में राजस्थान सरकार द्वारा पूर्व में स्पष्ट निर्देश प्रदान किए गए है कि ग्राम पंचायत द्वारा जारी कब्जा/स्वामित्व प्रमाण पत्र वैध नहीं है। इसके उपरान्त कार्यालय जिला कलक्टर सिरोही द्वारा भी अपने पत्रांक/पंचायत/02/339 दिनांक 18.05.2002 को आदेश जारी कर समस्त ग्राम पंचायतों व पंचायत समितियों को सूचित किया था कि राजस्थान पंचायतीराज राज नियम 1996 लागू हो चुका है एवं इस नियम के तहत कब्जे भोगवटे प्रमाण पत्र जारी करने का कोई प्रावधान नहीं है। अतः राज्य सरकार द्वारा पूर्व में जारी दिशा–निर्देश एवं कार्यालय जिला कलक्टर सिरोही द्वारा दिनांक 18.05.2002 को जारी आदेशों के अनुसरण में ग्राम पंचायत सनवाडा आर द्वारा दिनांक 09.02.1996 को प्रार्थी के हक में जारी उक्त कब्जा भोगवटा प्रमाण पत्र वैध नहीं पाया जाता है। पत्रावली के अवलोकन से यह पाया जाता है कि प्रार्थी द्वारा उक्त प्रश्नगत भूखण्ड का पट्टा ग्राम पंचायत से प्राप्त नहीं कर केवल मात्र कब्जा भोगवटा प्रमाण पत्र के आधार पर यह निगरानी प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया है जबकि राजस्थान पंचायतीराज अधिनियम 1994 एवं राजस्थान पंचायतीराज नियम 1996 के अन्तर्गत ग्राम पंचायत को कब्जा भोगवटा/स्वामित्व प्रमाण पत्र जारी करने का कोई प्रावधान नहीं होने से ग्राम पंचायत सनवाडा आर द्वारा प्रार्थी के हक में जारी किया गया उक्त कब्जा भोगवटा प्रमाण पत्र भी अवैध माना जाएगा। अतः बिना किसी वैध दस्तावेज यथा पट्टा इत्यादि के अभाव में उक्त प्रश्नगत भूखण्ड को प्रार्थी के कब्जे व मालिकी स्वामित्व का नहीं माना जा सकता है। यदि उक्त प्रश्नगत भूखण्ड पर प्रार्थी द्वारा किसी भी प्रकार का कोई कब्जा किया हुआ भी है, तो वह भी किसी वैध दस्तावेज के अभाव में अतिक्रमण की श्रेणी में ही माना जाएगा। अतः प्रार्थी अधिवक्ता उक्त प्रश्नगत भूखण्ड पर प्रार्थी का वैध

....पेज नं. 05

जिला कलक्टर, सिरोही

कब्जा साबित करने में असफल रहे है। यहां यह भी उल्लेखनीय है कि ग्राम पंचायत सनवाडा आर के प्रतिनिधियों के रूबरू पटवारी हल्का सनवाडा आर द्वारा दिनांक 14.11.2021 को तैयार की गई मौका फर्द रिपोर्ट में उक्त प्रश्नगत भूखण्ड पर किसी का कब्जा नहीं माना गया है। पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्यों के अवलोकन से यह पाया जाता है कि ग्राम पंचायत सनवाडा आर द्वारा उक्त प्रश्नगत पट्टे के सम्बन्ध में नियमानुसार मिसल का संधारण कर एवं आक्षेप आमंत्रित कर तथा जिला परिषद कार्यालय से उक्त पट्टे के सम्बन्ध में लिए गए प्रस्ताव का अनुमोदन उपरान्त ही अप्रार्थी संख्या तीन के हक में पट्टा जारी किया गया है।

अतः उपरोक्त विवेचन एवं पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्यों के अवलोकन से हस्तगत निगरानी आवेदन सारहीन होने एवं साबित नहीं होने से खारिज किये जाने योग्य है। अतः ऐसी स्थिति में प्रार्थी का निगरानी प्रार्थना पत्र अर्न्तगत धारा 97 राजस्थान पंचायती राज अधिनियम, 1994 विरुद्ध अप्रार्थीगण खारिज किया जाता है।

निर्णय आज दिनांक 08.05.2026 को खुले न्यायालय में डिक्टेट कराया जाकर सरे इजलास सुनाया गया ।

(रोहिताश्व सिंह तोमर)
जिला कलक्टर, सिरोही

कार्यालय जिला कलक्टर सिरोही (राज.)